राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 54(1)ग्रावि/नरेगा/विस/14/4/2015 जयपुर, दिनांकः 10 FEB 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा समस्त।

विषयः– **14वीं विधान सभा के सत्र–4 हेतु आवश्यक सूचनाओं के संकलन किये जाने बाबत।**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 25.02.2015 से प्रारम्भ हो रहा है। विधान सभा सत्र के दौरान सूचीबद्व प्रश्नों का जवाब, सूचीबद्व दिनांक से दो दिवस पूर्व राजस्थान विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार विशेष उल्लेख के दौरान, ध्यानाकर्षण के रूप में प्रेषित प्रस्ताव, पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले प्रकरणों पर 1 दिवस में जवाब राजस्थान विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। समय पर जवाब प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक है कि पूर्व के अनुभव के आधार पर पहले से ही तैयारी कर सूचना एकत्र रखी जावे।

विधान सभा में प्रायः उठने वाले प्रकरणों हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रारम्भ होने से आदिनांक तक की निम्न सूचनाएं ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार, विधान सभा क्षेत्रवार एवं जिलेवार आपके स्तर पर तैयार रखी जावे ताकि आवश्यक होने पर प्रकरण के अनुरूप तुरन्त प्रभाव से तैयार की जा सके :–

- योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का पृथक–पृथक विवरण–इसके तहत अनियमितता, गबन, वित्तीय हेराफेरी, भ्रष्टाचार, कार्यो की गुणवत्ता आदि की श्रेणी के आधार पर विवरण
- योजनान्तर्गत दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर. की अलग–अलग प्रकरणों के प्रकार के आधार पर सूचना, आदिनांक की स्थिति
- माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना सूचना/अनुपालना नही की गयी प्रकरणों का विवरण
- विभिन्न प्रकार की जांच के दौरान वसूली योग्य राशि, वसूल की गयी राशि, दोषी व्यक्तियों/कार्मिकों के विरूद्व प्रस्तावित/की गयी/बकाया कार्यवाही का विवरण
- सरपंच/अन्य जनप्रतिनिधियों के विरूद्व प्राप्त शिकायतें एवं अन्य प्रकरण तथा इन पर की गयी कार्यवाही आदि का विवरण
- योजनान्तर्गत नियोजित कार्मिकों का विवरण
- संविदा कार्मिकों के स्थानान्तरण के प्रकरण

- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत लगायी गयी शास्ति एवं इसकी वसूली की सूचना
- योजनान्तर्गत कार्य की मांग किये जाने के बावजूद कार्य उपलब्ध नही कराये गये परिवारों/व्यक्तियों की सूचना
- देय बेरोजगारी भत्ते तथा दिए गए बेरोजगारी भत्ता की सूचना
- वर्ष 2008–09 से 2014–15 के दौरान लगाये गये पौधों की संख्या, लगाये गये पौधों में से जीवित बचे पौधों की संख्या, पौधों पर किया गया व्यय (रू. लाखों में), लगाये गये पौधों की किस्म, पौधे सूखने/नष्ट होने के कारण, पौधों के रख–रखाव पर किया गया व्यय, यदि पौधे क्रय किये गये है तो कहां–कहां से, किस दर पर एवं पौधे के क्रय पर कुल व्यय, साथ ही निविदा की प्रति तथा दिए गए कार्यादेश की प्रति भी तैयार रखी जावे,
- योजनान्तर्गत विकसित की गयी नर्सरियों का विवरण जिसमें नर्सरीवार विकसित किये गये पौधों की संख्या, इन पर किया गया कुल व्यय (रू. लाखों में), पौधों की किस्म आदि का विवरण,
- जिले से पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को तथा पंचायत समिति से ग्राम पंचायतों को आवंटित/हस्तान्तरित राशि तथा श्रम, सामग्री एवं कुल व्यय का विवरण,
- वर्षवार स्वीकृत कार्यों का मय स्वीकृत राशि (श्रम एवं सामग्री) के विवरण, कार्य की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत/चालू नही/स्थगित), किया गया व्यय (श्रम एवं सामग्री) का विवरण एवं कार्य पूर्ण नही होने के कारण का विवरण
- वर्षवार उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण (परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया, मानव दिवस सृजन, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवार, मजदूरी पर व्यय,
- योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद के तहत किये गये व्यय का अलग–अलग आईटम/मदवार विवरण

कृपया विधान सभा से संबन्धित प्रश्नों के जवाब एवं अन्य सूचनाएं चाहे जाने पर निर्धारित तिथि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

10/2/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।